भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2166

दिनांक 02 अगस्त, 2021 को उत्तर देने के लिए

साधारण बीमा कारबार अधिनियम और बैंककारी कंपनी अधिनियम में संशोधन

2166. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक उद्यम विभाग को मंत्रालय के अधीन कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य तथा संभावित लाभ क्या हैं;
(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के निजीकरण को समर्थ बनाने के लिए साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा विनिवेश प्रक्रिया में अन्य क्या सुधारात्मक/विधायी कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क): जी, हां।

(ख): सरकार ने फरवरी 2021 में नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति अधिसूचित की है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) जो केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए नोडल विभाग है का वित्त मंत्रालय के साथ विलयन से नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन में बेहतर सहक्रिया प्राप्त होगी।

(ग) और (घ): वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट के अपने भाषण में दो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (पीएसबीज़) तथा एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण करने तथा इसके लिए अपेक्षित वैधानिक संशोधनों को लाने के लिए सरकार के इरादे की घोषणा की थी।

(ङ): फरवरी, 2021 में सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया में सुधार के रूप में आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति अधिसूचित की है। यह नीति अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार की उपस्थिति को कम करने के इरादे से तैयार की गई है। इस नीति की प्रति निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग (दीपम) की वेबसाइट https://dipam.gov.in/strategic-disinvestment.पर उपलब्ध है।

****